आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 8 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 25 अप्रैल, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

मरुधर मेडिकल ट्रस्ट भूमि आवंटन घोटाला

प्राधिकरण ने लगाई निर्माण पर रोक

मरुधर मेडिकल ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

वर्ष 23 में न्यायालय के स्थगन आदेशों एवं बिना किसी स्वामित्व के जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम झालाना डूंगर की निजी भूमि खसरा नम्बर 22 में से अवैधानिक रूप से कुछ भूखण्ड आवंटित किये थे जिस पर नेशनल हाउसिंग कॉपरेटिव सोसायटी एवं उनके सदस्यों ने अधिनस्थ अदालत एवं उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये और जयपुर विकास प्राधिकरण को समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर आग्रह किया कि वो इन अवैध आवंटनों को रद्द करे और मरुधर मेडिकल ट्रस्ट पर चल रहे अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाये। इसके अलावा प्राधिकरण का ध्यान उनकी बीपीसी की मीटिंग वर्ष 24 की ओर आकर्षित किया जिस पर स्पष्ट उल्लेख था कि संदर्भित भूमि का स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण के पास नहीं है अतः उसका मानचित्र अनुमोदन नहीं किया जा सकता किन्तु मरुधर मेडिकल ट्रस्ट के कर्ता-धर्ता डॉ. सुधीर भण्डारी के प्रभाव के कारण प्राधिकरण के अधिनस्थ कर्मचारियों ने मरुधर मेडिकल ट्रस्ट के मानचित्र को अनुमोदित कर दिया और उस पर निर्माण कार्य चालू हो गया।

इन अवैध आवंटनों को लेकर सक्षम न्यायालय में अवमानना याचिकाएं दायर की गई जो अभी लम्बित हैं। समिति के सदस्यों द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में भूखण्डों के अनुमोदन के लिए निर्देश देने हेतु दायर की गई थी और उसमें न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया था। मरुधर मेडिकल ट्रस्ट ने समिति के पक्ष में पारित स्थगन आदेश को हटाने एवं अपने निर्माण को पुनः चालू करने हेतु उक्त याचिका में पक्षकार बनने हेतु एक याचिका प्रस्तुत की जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा ट्रस्ट ने सदस्यों के पक्ष में पारित स्थगन आदेश को हटाने का भी अनुरोध किया। प्रथम सुनवाई के दौरान स्वामित्व को लेकर मरुधर मेडिकल ट्रस्ट ने नेशनल हाउसिंग के स्वामित्व को न केवल नकारा बल्कि भूमि को सरकारी बताया। विडम्बना यह है कि एक ओर जयपुर विकास प्राधिकरण जिसने यह भूखण्ड मरुधर मेडिकल ट्रस्ट को अलॉट किया है वह तो उसे अपनी नहीं मान रहा किन्तु मरुधर मेडिकल ट्रस्ट इसे प्राधिकरण की बता रहा है।

समिति के सदस्यों द्वारा पंजीकृत विकास समिति ने भी माननीय उच्च न्यायालय में पक्षकार बनने का आवेदन प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है किन्तु विकास समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये अवैध आवंटन एवं इस घोटाले को लेकर न्यायालय में अपराधिक वाद दायर कर रखा है साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के यहां भी शिकायत दर्ज करवाई है जिस पर जांच जारी है।

संक्षिप्त विवरण

''भूमि खसरा नंबर 21-22 ग्राम झालाना डूंगर तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत संक्षिप्त विवरण''

18.10.79 को संदर्भित भूमि का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ से खातेदार श्री त्रिलोकीनाथ साहनी के पक्ष में पारित हुआ और राजस्व मंडल के निर्णय को निरस्त करते हुए संपूर्ण भूमि का स्वामी श्री सहानी को माना। 01.07.80 को उच्च न्यायालय के आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिस पर राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका दिनांक 01.07.80 को खारिज हो गई और उच्च न्यायालय का निर्णय फाइनल हो गया। 1981 को श्री साहनी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 21 एवं 22 नेशनल हाउसिंग कॉपरेटिव सोसायटी लि. को विक्रय कर दी और समिति ने अपने 80 सदस्यों को भूखण्ड काटकर भूमि आवंटित कर दी। 1985 को उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में संदर्भित भूमि की खातेदारी श्री सहानी के नाम दर्ज हो गई जो आज तक यथावत कायम है। 08.09.86 को जयपुर विकास प्राधिकरण ने भूमि की अवाप्ति कार्यवाही हेतु एक यूओ नोट भूमि अवाप्ति अधिकारी को खसरा नंबर 22 की अवाप्ति के लिए जारी किया। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने वर्ष 1982 में धारा 4 और 1994 में धारा 6 के नोटिफिकेशन जारी किये किन्तु 1998 में अवाप्ति कार्यवाही सरकार द्वारा ड्रॉप कर दी गई। 10.09.90 को जेडीए ने एक पत्र राज्य सरकार को लिखा जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया कि विवादित भूमि का कब्जा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कभी नहीं लिया गया। 2002 को खसरा नंबर 22 के नये खसरा नंबर 102/433 में गोपालदास जोहर के नाम से राज्य सरकार द्वारा निजी जमीन मानते हुए आवासीय उपयोग का मानचित्र अनुमोदन हेतु निर्देश जारी किये तथा कालांतर में इसी भूमि में से 1500 मीटर पर पेट्रोल पम्प की स्वीकृति भी निजी मानकर दी गई। 2008 को होटल रेडफोक्स में भी खसरा नंबर 22 नया खसरा नंबर 102/433 के हिस्से को निजी मानते हुए होटल रेडफोक्स की स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्ष 2002 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संदर्भित भूमि पर पुलिस बल द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया तो समिति ने एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर वर्ष 2002 में दिनांक 17.10.2002 को न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिया गया। स्थगन आदेश के बावजूद प्राधिकरण ने उक्त भूमि में से तीन भूखण्ड क्रमशः मरुधर मेडिकल ट्रस्ट, गोविन्दी देवी इन्दरलाल डेरेवाला ट्रस्ट एवं कस्टम विभाग को आवंटित कर दिया जिस पर अवमानना याचिका दायर की गई जो न्यायालय में लम्बित है जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसे अपनी भूल बताते हुए न्यायालय में कहा कि भूलवश हुए आवंटन को उसने एबियन्स में रख दिया है।

वास्तविक स्थिति यह है कि संदर्भित भूमि का स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण के पास था ही नहीं और बिना किसी स्वामित्व के जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये अवैध आवंटनों को न्यायालय में चुनौती दी हुई है फिर भी प्राधिकरण के अधिनस्थ अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हुए आयुक्त महोदय से मरुधर मेडिकल ट्रस्ट के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ली जिसे अभी कुछ माह पहले प्राधिकरण ने उस स्वीकृति पर रोक लगा दी है। संदर्भित भूमि के बाबत प्राधिकरण के अधिनस्थ अधिकारी न्यायालयों को लगातार गुमराह कर रहे हैं जिसमें अधिनस्थ अदालत में सशपथ कथन करते हैं कि विवादित भूमि उन्होंने विधिवत अवाप्त कर रखी है और वह उनके स्वामित्व की है वहीं दूसरी ओर माननीय उच्च न्यायालय में सशपथ कथन करते हैं कि संदर्भित भूमि न तो कभी प्राधिकरण ने अवाप्त की है और ना ही कभी इसका कब्जा लिया है।

सम्पादकीय ....

पत्थरबाजों के हमदर्द

पिछले काफी लम्बे समय से कश्मीर में पाकिस्तान व आईएसआई के झण्डे फहराये जाना आम बात हो गई किन्तु सबसे खतरनाक स्थिति कश्मीर के युवाओं द्वारा सेना पर लगातार पत्थरबाजी है। अभी हाल ही में एक पत्थरबाज को सेना के द्वारा जीप से बांधकर जाते के आगे ले जाया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया जिसे कश्मीर का बताया जा रहा है। सेना का दावा है कि यह शख्स एक प्रदर्शनकारी है जिसे श्रीनगर के उपचुनाव के दिन सेना ने पत्थर फेंकने वालों से खुद को बचाने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल किया था।

इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुला के पिता फारुख अब्दुला ने भी इसकी कड़ी निन्दा की है साथ ही फारुख अब्दुला ने पत्थरबाजों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा है कि वह राष्ट्रीय हित में लड़ रहे हैं। इसके अलावा उमर अबदुला ने इस मामले की जांच की मांग की है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ति ने भी इस वीडियो के बारे में राज्य पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई है।

जो भी हो, इस मामले में देखने योग्य बात यह है कि इस गाड़ी पर किसी भी पत्थरबाज ने पत्थर नहीं फेंके?

इस देश के तथाकथित धर्म निरपेक्ष नेता हो या निर्लज्ज बुद्धिजीवी जिन्होंने कभी इन पत्थरबाजों का विरोध नहीं किया और ना ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन छोटी-छोटी घटनाओं पर कोहराम मचाने वाले यह तथाकथित बुद्धिजीवी सेना पर पत्थरबाजी के मामले पर चुप क्यों हैं? विडम्बना यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत भी पत्थरबाजों पर पैलेट गन इस्तेमाल करने को लेकर चिंतित है और पैलेट गन के विकल्प को लेकर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। अभी हाल ही में इसी मसले की सुनवाई पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के तौर पर किया जाता है। सुरक्षाबलों का उद्देश्य किसी को भी मारने का नहीं होता है। उधर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ही पैलेट गन के रोक की याचिका दायर कर रखी है लेकिन पत्थरबाजों के प्रति उनकी भी हमदर्दी प्रतीत होती है। विचित्र स्थिति यह है कि पत्थरबाजों से सेना को होने वाली क्षति पर संपूर्ण राष्ट्र मौन है और सभी को चिन्ता पत्थरबाजों की है।

वास्तव में हमारा देश महान है जहां पत्थरबाजों के हमदर्दों की एक फौज खड़ी है वहीं दूसरी ओर सेना को होने वाली क्षति पर पूरा राष्ट्र मौन है। अगर इस प्रकार की घटना किसी अन्य राष्ट्र में की जाती तो निश्चित ही उन्हें पैलेट गन नहीं बल्कि उसे कठोर से कठोर सजा की व्यवस्था होती। हैरत तो यह है कि एक तरफ तो फारुख अब्दुला हो या अमर अब्दुला बिना सुरक्षा घेरे के अपने घर से बाहर नहीं निकलते वहीं दूसरी ओर पत्थरबाजों का खुलेआम समर्थन करते हैं।

ईवीएम पर केन्द्र–आयोग से मांगा जवाब

बसपा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, 8 मई तक दाखिल करना है जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) रहित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। बसपा की याचिका पर जस्टिस जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 8 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई इसी दिन होगी।

बसपा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरम ने दलील दी कि बिना वीवीपीएटी वाले ईवीएम से मतदान की सत्यता पर गंभीर संदेह है। उन्होंने पीठ को बताया कि वोट की पुष्टि के लिए पेपर ट्रेल (पर्ची) को होना जरूरी है।

चिदम्बरम ने कहा, 'मतदाताओं के पास इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि उनका मत उसी उम्मीदवार को गया है जिसके पक्ष में उन्होंने मत डाला है। पेपर ट्रेल के अलावा इसका पता लगाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। ईवीएम में मतदाता सिर्फ बटन दबाते हैं। वोट किसको जाता है, इसका पता नहीं चल पाता।' सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने मामले में कांग्रेस के भी शामिल होने की बात कही है। राकांपा और तृणमूल कांग्रेस ने भी पक्षकार बनने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए ईवीएम में वीवीपीएटी लगाने की बात कही थी। चिदम्बरम ने इसका उल्लेख करते हुए कोर्ट को बताया कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद आयोग को पेपर ट्रेल के साथ ईवीएम खरीदने के लिए सरकार की ओर से तीन हजार करोड़ रुपए आवंटित नहीं किए गए हैं।

कपिल सिब्बल को मिला जवाब

कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि दक्षिण अमेरिका को छोड़ कर कहीं भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस पर जजों ने कहा कि आपकी (सिब्बल) पार्टी ने ही ईवीएम को अमल में लाया था। ऐसे में आप यह कैसे कह सकते हैं कि कोई और देश इसका इस्तेमाल नहीं करता। ईवीएम बूथ कैप्चरिंग और अन्य तरह की समस्याओं का निदान है।

ईवीएम पर और मुखर हो आयोग

मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि चुनाव आयोग को ईवीएम का बचाव ज्यादा मुखर और स्पष्ट तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसके लिए कई तरह के सुरक्षा उपाय किए गए हैं। राजनीतिक दलों और नेताओं को विरोध करने का अधिकार है। यदि वे मौजूदा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं तो उसका निदान भी है।

धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में चैनल का मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार

संभल में सुरक्षा कड़ी, बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात

नई दिल्ली। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद संभल कूच का ऐलान करने वाले एक क्षेत्रीय समाचार चैनल के मुख्य महाप्रबंधक सुरेश चव्हाण की लखनऊ में गिरफ्तारी के बाद संभल में ऐहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि ने यहां बताया कि संभल पुलिस और लखनऊ पुलिस की अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने सुदर्शन चैनल के मुख्य महाप्रबंधक सुरेश चव्हाण को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। अन्य हिन्दूवादी संगठनों की संभावित गतिविधियों की आशंका को देखते हुए संभल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि चव्हाण ने पिछले सोमवार को भावनाएं भड़काने के आरोप में अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद इसके विरोध में बुधवार को संभल जाने का ऐलान किया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद संभल की सभी सीमाएं ऐहतियातन सील करके बड़े पैने पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। छवि ने बताया कि संभल के धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही वहां बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनान किया गया है। संभल में तीन अपर पुलिस अधीक्षक, नौ क्षेत्राधिकारी, 16 निरीक्षक, 100 उप निरीक्षक, 300 पुलिस जवान और चार कंपनी पीएसी बल तैनात किया गया है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संभल में सांप्रदायिक माहौल खराब करने, धार्मिक उन्माद फैलाने और जनता में भय पैदा करने के आरोप में चव्हाण, इतरन हुसैन बाबर और संजय शंखधर नामक व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इनमें से बाबर ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है जबकि चव्हाण को गिरफ्तार किया जा चुका है। संभल के कोतवाल बृजमोहन गिरि की तहरीर पर चव्हाण के खिलाफ दो संप्रदायों के बीच धार्मिक वैमनस्य बढ़ाने वाले और साम्प्रदायिक सौहार्द पर बुरा असर डालने वाले कार्यक्रमों में भड़काऊ वक्तव्य देने, उन कार्यक्रमों के वीडियो इंटरनेट, यू ट्यूब, फेसबुक और ट्विटर इत्यादि पर पोस्ट करने के आरोप में पिछले 10 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था।

राजनीतिक दलों के आरटीआई दायरे का मामला ठंडे बस्ते में

नई दिल्ली। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) आर.के. माथुर ने राजनीतिक दलों के सूचना अधिकार कानून के दायरे में आने का मामला ठंडे बस्ते में डालने का निर्देश दिया है। पिछले साल 23 दिसम्बर को बिमल जुल्फा द्वारा इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ से खुद को अलग करने के बाद यह फैसला दिया गया था।

इसके बाद 29 दिसम्बर, 2016 को माथुर ने निर्देश दिया कि जब तक पीठ का गठन नहीं किया जाता है या इस सिलसिले में फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक के लिए इसकी सुनवाई स्थगित होगी। लगभग तीन महीने बीत जाने के बाद भी जुल्फा की जगह किसी नए व्यक्ति को लाने की चर्चा नहीं है। इस तरह यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है।

राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता आर.के. जैन के पूछे जाने पर केन्द्रीय सूचना आयोग ने फाइलों की टिप्पणी को सार्वजनिक किया है। उल्लेखनीय है कि 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आयोग से जैन की शिकायत पर छह महीने के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया था। जैन ने राजनीतिक पार्टियों पर सूचना अधिकार कानून के तहत सवालों के जवाब नहीं देने और इस सिलसिले में अपने यहां कोई इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया था।

सड़क से ज्यादा घर और दफ्तर में नुकसान पहुंचा रहा मोबाइल फोन

नई दिल्ली। मोबाइल फोन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, इससे तो सभी वाकिफ हैं। एक नया तथ्य सामने आया है कि यह सड़क से अधिक घर और दफ्तर में नुकसान पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल का रेडिएशन मिलकर शरीर पर दोगुना नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा कराए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है।

जब हम मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो वह सिंगल वेवलैंग्थ के जरिये सेल टावर से जुड़ता है। जितनी देर तक बात होती है, उतने समय तक हानिकारक तरंगें शरीर और त्वचा को प्रभावित करती हैं। घर के बाहर सड़क या पार्क आदि में केवल मोबाइल फोन और सेल टावर के रेडिएशन से ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन घर या दफ्तर में यह प्रभाव बढ़ जाता है। कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, एफएम, हीटिंग लाइटिंग लैंप, माइक्रोवेव ओवन और आसपास से गुजर रही बिजली की लाइनें भी कई सिग्नलों से तरंगें उत्पन्न करती हैं। इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोबाइल के रेडिएशन और सेल टावर के सिग्नल से ट्रांसमिट करता है। इससे शरीर पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव दोगुना हो जाता है। शरीर में ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है। थकावट, सिरदर्द, अनिद्रा, कानों में घंटियां बजने, जोड़ों में दर्द और याददाश्त कमजोर होने जैसी समस्याएं सामने आती हैं।

(शेष पृष्ठ तीन पर)

जस्टिस कर्नन का अप्रत्याशित कदम

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित सात जजों को किया तलब

देश के न्यायिक इतिहास में पहला प्रकरण

कोलकाता। अपने आप में एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी.एस. कर्नन ने देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और सुप्रीम कोर्ट के छह अन्य जजों के खिलाफ आदेश जारी कर दिया है। कर्नन ने गुरुवार को अपने खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने वाले भारत के प्रधान न्यायाधीश और उच्चतम न्यालय के छह न्यायाधीशों को 28 अप्रैल को उनकी आवासीय अदालत में पेश होने को कहा है। उन्होंने दावा किया कि सात न्यायाधीशों की पीठ ने बेवजह और जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्ण इरादे से मेरा अपमान किया।

कर्नन ने कहा कि न्यायाधीशों को उनके द्वारा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों का बचाव करने को कहा गया है। कर्नन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दलित होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अपने आवास पर उन्होंने कहा कि सातों माननीय न्यायाधीश 28 अप्रैल 2017 को सुबह साढ़े ग्यारह बजे मेरे रोजडेल आवासीय अदालत में पेश होंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के उल्लंघन को लेकर सजा के बारे में अपनी राय रखेंगे। उन्होंने अपने आवास से स्वत: संज्ञान न्यायिक आदेश पारित किया। अपने आवास को उन्होंने अस्थायी न्यायालय करार दिया। गुरुवार को पारित अपने आदेश में न्यायमूर्ति कर्नन ने कहा कि 31 मार्च को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छह अन्य न्यायाधीशों ने सवाल का अनुमोदन किया, जो खुली अदालत में उनके अपमान के बराबर है।

मालूम हो कि न्यायमूर्ति कर्नन 31 मार्च को अपने खिलाफ दायर अवमानना के मामले में उच्च न्यायालय में पेश हुए और शर्त रखी कि अगर उनके न्यायिक अधिकार लौटाए जाते हैं तो वह फिर से पेश होने को तैयार हैं, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने उनको अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

न्यायिक प्रणाली को नष्ट कर रही है हरियाणा सरकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ पांच साल बाद अपील दायर करने पर हरियाणा सरकार पर पांच लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। साथ ही कहा कि वह प्रक्रिया का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग करके न्यायिक प्रणाली को नष्ट कर रही है।

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के तीन सदस्यीस खंडपीठ ने शुक्रवार को सख्त लहजे में कहा- आप (हरियाणा सरकार) न्यायिक प्रणाली नष्ट कर रहे हैं। आप जो सवाल उठा रहे हैं उसकी व्याख्या यह अदालत पहले ही कर चुकी है। कितनी बार आपके लिए हमें इसकी व्याख्या करनी होगी ?

जजों ने कहा- आप एक मामले में हाई कोर्ट के आदेश को पांच साल आठ महीने बीतने पर चुनौती दे रहे हैं जो अब समय सीमा से बाहर है। यह ऐसा उचित मामला है जिसमें सरकार न्यायिक प्रणाली नष्ट करना चाहती है। यही समय है कि हम आप पर ऐसी याचिकाएं दायर करने के कारण प्रत्येक याचिका के लिए पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाएं। पीठ इस बात से नाराज थी कि छह अलग-अलग मंचों पर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले में निर्धारित अवधि से पांच साल से भी अधिक समय बाद अपील दायर की गई है।

अदालत ने राज्य सरकार को शीर्ष अदालत में अपील दायर नहीं करने का परामर्श देने के कारण उसके वकील को भी आड़े हाथ लिया। अदालत ने वकील से कहा- आप छह अलग-अलग न्यायिक मंचों पर गए। जिनके पास इन मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं था और अब आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं। आपने अपने मुवक्किल को सलाह क्यों नहीं दी कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत श्रमिक मामलों से सम्बन्धित हरियाणा राज्य सहकारी श्रमिक एवं निर्माण फैडरेशन की एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने यह अपील खारिज करते हुए कहा कि यह सरकार द्वारा सरासर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और वह इससे निबटेगी।

न्याय में विलम्ब पर सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने कहा

न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर काट-काटकर जवान आदमी बूढ़ा हो जाता, ये कैसी न्यायिक व्यवस्था, बदलाव होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट के जज एवं राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने कहा है कि दुनिया में हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहा है लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था नहीं बदल पा रही है। ऑनलाइन बिजनेस, इंटरनेट बैंकिंग, दुनिया भर की घटनाएं व खबरें हर पल अपडेट हो रही हैं, लेकिन परिवर्तन के इस दौर में अदालतों में मुकदमे बरसों से लम्बित हैं। न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मिश्रा ने कहा कि उनकी अदालत में एक ऐसा केस आया जिसमें तलाक चाहने वाले पति की उम्र 77 वर्ष और पत्नी की 73 साल हो गई है। दोनों जवान थे, 40 साल से तलाक के लिए अदालतों में भटक रहे हैं और अब बूढे हो चुके हैं। उन्होंने पूछा कि यह कैसी न्यायिक व्यवस्था है। मिश्रा गोल्डन ट्यूलिप होटल में शुरू हुई दो दिन की द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट राजस्थान चैप्टर की कार्यशाला में बोल रहे थे। न्यायिक प्रक्रिया सस्ती और सरल कैसे हो, इस पर चर्चा करने कई राज्यों से न्यायाधीश और वकील उदयपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए मानसिकता और सोच में बदलाव लाने की जरूरत है।

अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की तरह है न्याय प्रक्रिया : प्रदीप नंद्राजोग

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग ने न्याय के पांच मुख्य घटकों की तुलना अर्जुन के पांच घोड़ों वाले रथ से की। समझौता वार्ता, मध्यस्थता, पंच निर्णय, सामाजिक न्याय व त्वरित न्याय में से एक भी घटक की चाल गड़बड़ा जाए तो न्यायिक व्यवस्था प्रभावित होती है। नंद्राजोग ने कहा कि लम्बित मुकदमों के निस्तारण के लिए एडीआर (अल्टरनेटिव डिसप्यूट रिजोल्यूशन) को प्रभावी बनाने के प्रयास चल रहे हैं।

तारीख पर तारीख बढ़वाते रहते वकील और न्याय से उठ जाता भरोसा

मिश्रा ने कहा कि मुकदमों को लंबित करने में सबसे ज्यादा दोषी वकील हैं। न्याय की आस लिए लोग अदालत आते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी न्याय पाने के लिए वकीलों को फीस देते हैं। क्लाइंट की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी वकील कोई न कोई बहाना बनाकर पेशियों की तारीखें बढ़वाते रहते हैं और न्याय की आस में आम आदमी बरसों तक भटकता रहता है और आखिरकार न्यायिक व्यवस्था से उनका भरोसा उठ जाता है।

प्रदेश के सरकारी विभागों के हाल

- राज्य सरकार के मेजर 49 विभागों से संबंधित करीब 1 लाख 92 हजार केसेज विभिन्न कोर्टों में पेंडिंग हैं।
- सरकारी दफ्तरों में 20 हजार केसेज में विभागों की तरफ से कोर्ट में जवाब तक दाखिल नहीं किया जा सका है।
- 4 हजार ऐसे मामले हैं जिनमें कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की गई है।

सुलझाने के बजाय मामलों को और उलझा देते हैं

मिश्रा ने कहा कि तलाक वाले मामलों के अलावा मारपीट, यातनाएं देना, दहेज उत्पीड़न जैसे आरोप लगाकर सरलता से सुलझ सकने वाले मामलों को भी जटिल व पेचीदा बनाकर और उलझा दिया जाता है। यह चिन्तनीय है।

सड़क से ज्यादा...

(पृष्ठ दो का शेष)

रेडिएशन से बचने के उपाय

- मोबाइल फोन का सीधे उपयोग न करके इयर फोन से बात करें।
- मोबाइल फोन को कान पर लगाएं तो उसको नीचे से पकड़ें, पूरा फोन नहीं।
- मोबाइल से आवश्यक बातें ही करें, लम्बी बातों के लिए सामान्य लैण्ड लाइन फोन का प्रयोग करें।
- मोबाइल फोन का प्रयोग सही मुद्रा में खड़े होकर या बैठकर ही करें, लेटे हुए नहीं।

'वायु और ध्वनि प्रदूषण की तरह ही रेडिएशन व इलेक्ट्रोमैगनेटिक तरंगें भी शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। मोबाइल फोन का उपयोग थर्मल प्रभाव भी उत्पन्न करता है। अधिक देर तक कान पर लगाए रहने से गर्माहट पैदा होती है, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है।'

डॉ. दीपांकर साहा, *प्रमुख वैज्ञानिक एवं अतिरिक्त निदेशक सीपीसीबी*

'मोबाइल रेडिएशन व इलेक्ट्रोमैगनेटिक तरंगें धीमे जहर की तरह मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाती है। यही धीमा जहर आगे चलकर विभिन्न बीमारियों का कारक बनता है। लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं।'

डॉ. आजाद कुमार, *सदस्य ऑल इंडिया मेडिसिन ग्रेजुएट एसोसिएशन*

अदालती आदेश के बावजूद जेल सुधार के काम नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद जेल सुधारे प्रभावी काम नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजी जेल, प्रमुख वित्त सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और प्रमुख तकनीकी शिक्षा सचिव को 11 मई को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने न्यायमित्र को छूट दी है कि वे दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं।

न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश वी.एस. सिरोधना की ब्रेंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान आदेश की पालना में जेल के सीएमडी एम.वी. गौतम अदालत में पेश हुए। जेल में जैमर के काम न करने का कारण बताते हुए सीएमडी ने कहा कि जेल की पांच सौ मीटर परिधि में मोबाइल टावर लगे हुए हैं। ये टावर निर्धारित मात्रा के चार गुणा तक तरंगें छोड़ रहे हैं। इसके चलते जैमर काम नहीं कर पाते हैं। अभी केन्द्रीय कारागारों में 57 जैमर्स और स्थापित किए जाने हैं।

इस पर अदालत ने कहा कि वे ऐसा जैमर लगाए जो उच्च तरंगों को रोकने में भी सक्षम हों। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि 27 जनवरी 2016 को अदालत ने जेलों में कैदियों के हालात सुधारने के लिए 45 बिन्दुओं पर आदेश दिए थे। वहीं गत 9 मार्च को टॉयलेट्स, कैदियों की क्षमता के हिसाब से रसोई और मनोचिकित्सक सहित 16 आवश्यक बिन्दुओं पर पूर्णतया पालना करने को कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर मुख्य सचिव को पेश होना था, लेकिन न तो कार्य पूरे हुए और न ही मुख्य सचिव अदालत में पेश हुए।

राज्य सरकार की ओर से 9 केन्द्रीय कारागारों को लेकर 16 बिन्दुओं पर पेश पालना रिपोर्ट को अदालत में बहानापूर्ति बताते हुए कहा कि इनकी स्पष्टतया पालना होनी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव सहित अन्य आलाअधिकारियों को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार जुर्माना

नई दिल्ली। शराब पीकर गाड़ी चलाना आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। नशेकी हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो अब दस हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में लोकसभा में महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया।

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि वर्ष 1998 के मोटर यान कानून में 30 साल बाद संशोधन करने के लिए विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने की सदन से अपील करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क हादसे भारत में होते हैं। भारत में सालाना पांच लाख सड़क हादसे होते हैं जिनमें डेढ़ लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। गडकरी ने इन हादसों के लिए कम प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नियमों से लेकर यातायात नियमों को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही कहा कि जनता में यातायात नियमों के प्रति न सम्मान है और न ही डर।

उन्होंने बताया कि विधेयक में यातायात नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में राज्यों के लिए ई गवर्नेंस को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है और एक व्यक्ति चार-चार राज्यों में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। उन्होंने कहा कि अब लोग घर बैठे लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे लेकिन स्थाई लाइसेंस बनवाने के लिए कम्प्यूटर के जरीए परीक्षा देनी होगी। नेता, अभिनेता या पत्रकार चाहे कोई भी हो, सबको परीक्षा देकर ही लाइसेंस मिल सकेगा। देश में 22 लाख प्रशिक्षित ड्राइवरों की कमी है और मोटरयान कानून में संशोधन से लोगों को रोजगार के साथ ही सड़क हादसों में भी कमी लाने में मदद मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि सड़क हादसों में अधिकतर युवा लोगों की जान जाती है। गडकरी ने कहा कि नए कानून के प्रभावी होने के बाद यदि मंत्री भी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो कैमरों के जरिए जुर्माना पर्ची डाक से घर पहुंचा दी जाएगी। जल्द ही सरकार एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने जा रही है जिसके बाद सुरक्षित यातायात के सम्बन्ध में अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि नशे में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसे गैर इरादतन हत्या अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए। उन्होंने खराब सड़कों को सड़क हादसों का एक मुख्य कारण बताया और इसके लिए सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग की।

अचानक उकसावे के कारण हुई मौत 'क्रूर हत्या' नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर और अचानक उकसावे की वजह से हुई मौत को 'क्रूर हत्या' नहीं कहा जा सकता। लिहाजा, शीर्ष अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को सुनाई गई उम्रकैद को 10 साल कारावास की सजा में तब्दील कर दिया। जस्टिस ए.के. सीकरी और आर.के. अग्रवाल की पीठ ने पंजाब निवासी सुरेन सिंह को यह राहत प्रदान की। सुरेन ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 2008 में सुनाए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की 1998 में सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।

दरअसल, 1955 में फरीदकोट में अभियुक्त सुरेन सिंह और पीड़ित परिवारों के बीच किसी बात को लेकर काफी तीखा वाद-विवाद हो गया था।

सुरेन सिंह ने इस दौरान पीड़ित परिवार के लोगों पर कृपाण से हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया था। इनमें से एक हरबंस सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा- यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का मारे गए व्यक्ति को जान से मारने का कोई इरादा था। यह घटना गंभीर और अचानक उकसावे की वजह से हुई, इसलिए अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 300 (हत्या) अपवाद 4 (अचानक लड़ाई) के तहत लाभ पाने का हकदार है।

अदालत ने मारे गए व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मारे गए व्यक्ति के किसी भी संवेदनशील हिस्से पर वार नहीं किया गया था।

एंटी रोमियो अभियान को कोर्ट ने सही ठहराया

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महिलाओं से छेड़खानी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए गठित एंटी रोमियो पुलिस स्कवाड के गठन पर रोक लागाने के लिए गठित एंटी रोमियो पुलिस स्कवाड के गठन पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई कानूनी या संवैधानिनक अवरोध नहीं है। कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु व गोवा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कानून बनाने को कहा है।

जस्टिस ए.पी. साही व जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने यह आदेश वकील गौरव गुप्ता की याचिका पर दिया। कोर्ट ने सादे कपड़ों में पुलिस द्वारा कई जगह छापेमारी कर महिलाओं से छेड़खानी करने वाले शोहदों का वीडियो बनाने और इसे मीडिया व सोशल मीडिया पर वायरल करने में कोई गलती नहीं पाई। कोर्ट ने ऐसे पुलिस दलों के जरिये कार्रवाई करने पर रोक की याची की मांग सिरे से नकार दी।

कोर्ट ने कहा कि वास्तव में यह मॉरल पुलिसिंग नहीं, बल्कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग यानी ऐसी पुलिसिंग है, जिसका काम महिलाओं के खिलाफ सरेआम छेड़खानी को होने से पहले से रोकना है। याचिका में कहा गया था कि एंटी रोमियो स्कवॉड के जरिये पुलिस लोगों की प्राइवेसी भंग कर रही है और नौजवान जोड़ों को परेशान कर रही है। याची ने पुलिस दल का नामकरण एंटी रोमियो स्कवॉड करने पर भी एतराज जताया। कोर्ट ने सुनवाई करते समय सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और एसएसपी मंजिल सैनी को दोपहर दो बजे तलब किया कि वह बताएं कि किस नियम-कानून के तहत इस प्रकार के स्क्वॉड का गठन किया गया है और किस नियम के तहत पुलिस वाले सादी वर्दी में छापेमारी कर रहे हैं। मंजिल सैनी दो बजे हाजिर हुई और कोर्ट को बताया कि यह कार्य सीआरपीसी, आइपीसी पुलिस एक्ट व पुलिस रेगुलेशन के प्रावधानों के तहत बिल्कुल कानूनी है। उन्होंने जीडीपी के दिशा-निर्देश व स्वयं की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम को भी कोर्ट में पेश किया, जिसमें साफ था कि किसी पर किसी प्रकार की ज्यादती न होने पाए।

लगी मुहर

- हाई कोर्ट ने ऐसे दलों के गठन पर रोक की मांग खारिज की
- कहा, इसमें कोई कानूनी या संवैधानिक बाधा नहीं

'किसी मामले में पुलिस की ज्यादाती सामने आती है तो कानून के दरवाजे खुले हैं। सरकार को पुलिस बल बढ़ाना चाहिए। तमिलनाडु में 1998 में महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाया गया और गोवा में भी 2013 से ऐसा ही कानून है। यदि पुलिस दल के नामकरण पर आपत्ति है तो सरकार उसे बदलने को स्वतंत्र है।'

-हाईकोर्ट

खरी-खरी

राम मंदिर-बाबरी मस्जिद में सर्वोच्च न्यायालय की चूक

डॉ. मानचन्द खण्डेला 9462817770
E mail : manchandkhandela.@gmail.com

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद मे यह कह कर कि 'इस विवाद का हल न्यायालय के बाहर सभी संदर्भित पक्षों को मिलजुल कर करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा इस काम में मध्यस्थता के लिये वे स्वयं उपलब्ध हैं।' एक साथ कई प्रश्न खड़े कर दिये हैं। 67 वर्षों की समय, श्रम, धन की बर्बादी के बाद ऐसा कहा जाना क्या न्यायापालिका की अकर्मण्यता, लेट लतीफी, मामले को लटकाये रखने की मानसिकता, परिवर्तित राजनीतिक स्थिति के अनुरूप पलट जाने की मजबूरी व केन्द्र सरकार का परोक्ष दबाव का ही परिणाम है? क्या सर्वोच्च न्यायालय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करने जितना भी साहस नहीं जुटा पा रहा है? क्या उसको प्रस्तुत तथ्यों, दस्तावेजों, गवाहों से स्पष्ट हो गया है कि उसको बाबरी मस्जिद के पक्ष में याने राम मंदिर के विरुद्ध ही फैसला देना होगा? क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जजों की व्यक्तिगत भावना, आस्था, सोच और कयास भी उनको कोई 'गली' निकालने हेतु उन्हें मजबूर कर रही है? क्या जजों को आस्था के विवादित एवं व्यक्तिशः सोच को न्यायिक निर्णय के बीच में लाने का संवैधानिक अधिकार है? सुब्रमण्यम स्वामी जो मामले में पक्षकार हैं को इतना महत्व देना सम्बन्धित पक्षकारों के न्यायपालिका में विश्वास पर आघात करना नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय तीन तलाक मामले में छुट्टियों में भी सुनवाई करना इस आधार पर आवश्यक मान रहा है कि फिर काफी देर हो जायेगी तो 67 वर्षों से अनिर्णित मामले के सम्बन्ध में वह उपेक्षा भाव क्यों रखे हुए है? इस मामले में खुलेआम एक पक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से यह कहा जा रहा है कि न्यायपालिका का फैसला कुछ भी आये मंदिर वहीं बनेगा तथा स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि मंदिर तो वहीं बनेगा क्योंकि मस्जिद नवाज पढ़ने का स्थान होता है जो कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों पर अवमानना का मामला दर्ज क्यों नहीं किया जाता है? क्या जजों की व्यक्तिगत आस्था या चाहत उन्हें ऐसी अनहोनी करने के लिये मजबूर कर रही है? वह यह क्यों नहीं सोचता कि विगत वर्षों में आपसी समझौते के 6 प्रयास तो गम्भीर किस्म के हो चुके हैं तो अब उसका विश्वास अतिरेक भरा क्यों है? क्या वह ऐसा करने के लिए वर्तमान परिवर्तित राजनैतिक परिस्थितियों के दबाव को झेल नहीं पा रहा है? बिना किसी मांग या अनुरोध के अपने ओर से मध्यस्थता का प्रयास एवं जज को प्रस्तुत करना न्यायपालिका की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है? ऐसा करके वह 'दाल भात में मूसलचंद' बनने का प्रयास क्यों व कैसे कर रहा है।

ऐसे अनेक प्रश्नों का तथ्यपरक उत्तर देना लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक है। क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अन्ततः सार्वभौमिक जनता ही है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक क्षेत्र में सर्वोपरि है लेकिन अंतिम, स्वच्छंद और सीमा रहित नहीं है। जिस मामले को लटके हुए 67 वर्ष हो गये हैं, जिसके कारण देश की कई सरकारें गिर और बन चुकी हों, जिसके कारण देश वैश्विक स्तर पर 'कलंकित' हो चुका हो, सैंकड़ों लोग मारे जा चुके हों, अरबों रुपयों का नुकसान हो चुका हो, देश के दो सबसे बड़े समुदायों के बीच अविश्वास की खाई लगातार चौड़ी होती रही हो, राजनीतिबाजों को स्वच्छंदतापूर्वक 'खेलने' का मौका मिला हो, हजारों दस्तावेज जुटाये गये हों, लाखों मानव दिवस बर्बाद किये गये हों, सम्पूर्ण देश में उन्माद, अस्थिरता तथा अतिवाद का भयानक वातावरण बना हो उस मामले को सात दशकों बाद भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी सुस्त चाल, टालू प्रवृत्ति के कारण लटकाये रखे यह न्यायिक व्यवस्था की ही पूर्ण उपेक्षा माना जायेगा। शायद लटकाऊपन का यह विश्व रिकॉर्ड ही है। सर्वोच्च न्यायालय का काम केवल यथाशीघ्र फैसला देना है और उसका पालन करवाना कार्यपालिका का काम है। जब फैसला होने को ही है तथा सभी तकनीकि रूप से सम्बन्धित पक्ष उस फैसले का सम्मान करने की सार्वजनिक घोषणा बार-बार कर रहे हैं तो स्वयंभू रूप से मध्यस्थ बनने की बात जरा पच नहीं रही है। इसका स्पष्ट मत तो यह ही है कि जजों का फैसला देने का जो दायित्व है उसे वे निभा नहीं रहे हैं और उसके अलावा प्रायः सब कुछ करने की घोषणाएं कर रहे हैं। यह तो ऐसा ही हुआ नकारा, संवेदनहीन और दायित्व से दूर भागने वाली सरकार गरीब एवं अमीर को स्वयं ही मिल कर धन का समान वितरण कर लेने की बात कहे और इसके लिए कानून एवं नियम बनाने से हाथ खड़े कर दे।

इस संदर्भ में सबसे आशंकापूर्ण बात यह ही है कि जब उसके यहां प्रतिदिन सुनवाई करने की याचिका लगाई जा रही है एवं दूसरा पक्षकार सार्वजनिक रूप से यह ही मांग कर रहा है तथा फैसले को स्वीकार कर लेने की बात कह रहा है तो उसे अपने दायित्व से हट कर 'समाज सेवक' की भूमिका में आने की इसी समय जरूरत क्यों पड़ गई? अगर मुझ जैसा स्वतंत्र चिन्तन वाला व्यक्ति इसका अर्थ यह लगाये कि वर्तमान मंदिर समर्थक केन्द्रीय एवं राज्य सरकार न्यायालय के बहाने बाबरी मस्जिद समर्थक पक्ष पर 'साम, दाम, दंड, भेद' की तर्ज पर किसी बहाने से दबाव डाल सकती है के कारण ऐसा किया जा रहा है तो उसे सीधे रूप से नकारा तो नहीं जा सकता है क्योंकि 'न्यायालय के बाहर समझौते' के लिये अनेक बार सभी पक्षों में बातचीत हो चुकी है। जिसका परिणाम ही निकला है। अबकी बार तो स्थिति और भी खराब है क्योंकि दोनों संबंधित पक्ष पहले से ही न्यायपालिका के बाहर किसी भी बातचीत से स्पष्ट इनकार करते रहे हैं। यह तो सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के हाथ फैसला लिखने में कांपते से, दिमाग अस्थिर सा, दिल बेचैन सा, आम जनता को दिखाई सा दिया है। जो न्यायालय सबूतों के अभाव में कातिल तक को बरी कर देता है वह सबूतों के आधार पर फैसला करने से कन्नी काटता सा लग रहा है जो वकीलों को बार-बार तारीख लेने पर डांट तक पिलाता है वह स्वयं ही पक्षकारों के बार-बार कहने के बावजूद सुनवाई में टालमटोल कर रहा है। जो याचिकाओं को अस्वीकार करने पर याचिकाकर्ता पर जुर्माना तक लगा देता है उसने कोर्ट का बहुमूल्य समय बेकार किया है वही कोर्ट 'दाल भात में मूसलचंद' तर्ज पर मामले में कूदने की हठधर्मिता को सार्वजनिक आलोचना के बावजूद प्रदर्शित करता है। ऐसी सभी बातें शायद पहली बार हो रही हैं।

हो सकता है ये सब बातें गलत हों कि सलमान मामलों में करोड़ों की 'डील' हो रही है, अमित शाह एवं नरेन्द्र मोदी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरी किये जाने के बाद संबंधित जज 'अनुग्रहीत' हुए हैं। राज्यपालों के निर्णयों के सम्बन्ध में हाई कोर्ट्स का अकारण सा हस्तक्षेप किसी 'बड़े' कारण से हुआ है, सहारा प्रमुख को अंदर रखने के लिए कानून नहीं व्यक्तिगत अहंकार जिम्मेदार है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता में बनी अवधारणा महत्वपूर्ण होती है। इसका खयाल रखना हर जज का जितना ही दायित्व है जितना वे अकारण राम मन्दिर-बाबरी मस्जिद मामले में 'आस्था' को ढूंढ रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने किसी जज को मध्यस्थ बनने का अपनी ओर से प्रस्ताव रख कर, परोक्ष रूप से बताने की कोशिश की है कि उसके अलावा 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में दूसरा कोई व्यक्ति अधिक कर्त्तव्यपरायण, धर्मपरायण, वस्तुनिष्ठ, निस्वार्थ कोई है ही नहीं। यह तो सम्बन्धित पक्षों को मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से एक स्वनिर्धारित लक्ष्य के लिये दबाव में लाने जैसा ही है। जबकि यह मामला शुद्ध रूप से जमीन के अधिकार को दस्तावेजों के आधार पर पुष्ट एवं निर्धारित करने का है।

अब टीवी चैनल्स पर मन्दिर बन जाने का वातावरण बनाने के लिये प्रायोजित कार्यक्रम सा चलाया हुआ है वह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना ही है क्योंकि अधिकांश कार्यक्रमों में मामले से असंबंधित पक्षों को सोच विचार कर वरीयता एवं महत्व दिया जा रहा है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को इसमें कुछ भी अन्यथा क्यों नहीं लगता है। जबकि यह न्यायालय ही लोकतंत्र के हित में चुनाव के समय ओपीनियन एवं एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी दोहरी मानसिकता को बिना बहस के नहीं छोड़ा जा सकता है। विशेषतः तब जब एक जज विशेष के आचरण के कारण पूरी न्यायिक व्यवस्था 'शर्मिन्दा' हो रही है और आम जनता इस 'नाटक' का मजा ले रही है उसके सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय न ही फैसला करता है न मध्यस्थता। जब विशेष की 'उद्दंडता' लगातार बढ़ती ही जा रही है।

निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में तीन स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कुछ सीमाओं में ही स्वतंत्र हैं। साथ ही एक-दूसरे से नियंत्रित भी हैं। ऐसे में जब वैधानिक संस्था ही स्वछंद नहीं हो सकती है तो उससे सम्बन्धित व्यक्ति का इतना अधिकारपूर्ण होने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे में न्यायपालिका अपने फैसले देने के क्षेत्राधिकार से आगे जाकर बिना मांगे राय देने, किसी को फटकार लगाने, कम इज्जत के साथ किसी को व्यक्तिशः कोर्ट में पेश होने को कहने, अपने द्वारा दिये गये निर्णय से बचने, अपनी खाल बचाने वाले स्वयंभू किस्म के निर्णय देने, सार्वजनिक रूप से भेदभावपूर्ण निर्णय देने, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाकर अपने छपास रोग का प्रदर्शन करने, जानते हुए किसी आरोपी या अपराधी के साथ सार्वजनिक मंच साझा करने, समय की पाबंदी को नहीं मानने जैसे कृत्य नहीं कर सकती है। हाल ही में एक न्यायिक निर्णय में देश के कुछ अधिनस्थ न्यायालयों में सीसी टीवी कैमरे लगाना तो स्वीकार किया गया है लेकिन साथ ही कहा गया है कि इसका न तो कहीं प्रदर्शन किया जा सकता है न इसे सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। तो फिर सरकारी धन को बर्बाद करने का मतलब क्या है? ऐसा करना सामान्य सरकारी कर्मचारी के लिये तो अनियमितता की श्रेणी में आता है तो जजों के सम्बन्ध में ऐसा क्यों नहीं? जबकि जज भी मूलतः तो उनके समकक्ष ही है। क्योंकि वे भी उन्हीं की तरह वेतन, भत्ते, सुविधाएं आदि लेते हैं। यह सही है कि विधायिका और कार्यपालिका की कमियों के कारण न्यायपालिका कुछ अधिक अधिकारपूर्ण सी हो गई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि वह न्यायिक निर्णय देने के अपने मूल दायित्व से कन्नी काटे और गैर-न्यायिक कार्यों पर स्वछंद होकर घोषणाएं करना प्रारंभ कर दे, किसी भी मामले को सुनने लायक मान ले, किसी तुलनीय मामले की सुनवाई से इनकार कर दे, सरकार की नीतियों पर ही निर्णय सुनाने लगे, ऐसा या वैसा करो कहने की आदत बना ले।

विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिल कर कहा

देश में खौफ का माहौल, दबाई जा रही है असहमति की आवाज

नई दिल्ली। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अगुवाई में 13प्रमुख विपक्षी दलों के सांसदों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इन नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप कर कहा कि असहमति की आवाज दबाई जा रही है। गलतबयानी की जा रही है। राष्ट्रवाद के नाम पर धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं। मोरल पुलिसिंग, गौ रक्षक दलों और एंटी रोमियो स्क्वायड की गतिविधियां समेत कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं हैं।

प्रणब मुखर्जी से मिल कर लौटने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है और असहमति की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप का आग्रह किया है ताकि संवैधानिक लोकतंत्र और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा की जा सके और देश में कानून का शासन स्थापित हो सके।

विपक्ष के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल के सुखेंदु रोकर राय, कांग्रेस के अहमद पटेल, ए.के. एंटनी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तारीक अनवर, बसपा के सतीश चन्द्र मिश्र, भाकपा के डी राजा, राजद के जयप्रकाश नारायण यादव आदि शामिल थे। शिष्टमंडल ने इस दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा भी उठाया। गुलाम नबी आजाद के अनुसार, हाल में सम्पन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में ईवीएम के खराब होने और उसके साथ छेड़छाड़ ने समूची चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल खड़े किए हैं।

विपक्ष ने प्रमुख विधेयकों को वित्त विधेयक के रूप में पारित कराने में राज्यसभा की अनदेखी का सवाल भी राष्ट्रपति के सामने उठाया। आजाद ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों, शिक्षा केन्द्रों, सांस्कृतिक और इतिहास शोध से जुड़े संस्थानों की स्वायत्तता पर हमले किए जा रहे हैं। नेहरू मेमोरियल म्युजियम और लाइब्रेरी केन्द्र की मौजूदा सरकार के खास निशाने पर है। इस संस्थान ने आजादी की लड़ाई का इतिहास और दस्तावेजों को संभाल कर रखा है। अब यहां ऐसे लोगों की भरमार कर दी गई है, जिनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों और देश के नायकों के सिद्धान्तों से कोई लेना-देना नहीं। इसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का हनन किया जा रहा है।

वाड्रा के एजेंटों पर ईडी का छापा

रॉबर्ट की कंपनी के लिए जमीन खरीद-फरोख्त करने वालों पर कसा शिकंजा

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बाद अब उनके एजेंटों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कस दिया है। बीकानेर जमीन घोटाले में ईडी की टीम वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा.लि. के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त करने वाले एजेंटों तक पहुंच गई है। ईडी की जयपुर टीम ने फरीदाबाद में वाड्रा के करीबी एडवोकेट महेश नागर व उसके चालक के घरों पर तीन जगह एक साथ छापे मारे।

ईडी की टीम महेश नागर के घर का सर्च वारंट लेकर फरीदाबाद पहुंची। यहां महेश नागर तो मौजूद नहीं थे, मगर उनके साथ रहने वाले बड़े भाई व तिगांव के कांग्रेस विधायक ललित नागर मौजूद थे। 2009 के विधानसभा चुनाव में महेश नागर की वाड्रा से करीबी के चलते ही ललित नागर को कांग्रेस का टिकट मिला था। तब ललित मौजूदा केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर से चुनाव हार गए थे, मगर 2014 में वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। ईडी की टीम ने छह घंटे महेश नागर सहित उसके बड़े भाई ललित नागर, छोटे भाई मनोज और राजू के कमरों में भी गहन छानबीन की। अलमारियां भी खुलवाकर सारे कागजात खंगाले। टीम सेक्टर-17 के अलावा महेश नागर के पैतृक गांव भुआपुर स्थित घर व उसके चालक अशोक कुमार उर्फ कलवा के घर भी पहुंची। भुआपुर में अशोक के घर से ईडी अधिकारियों ने गांव के पूर्व सरपंच रिछपाल सिंह व योगेन्द्र नम्बरदार की उपस्थिति में चैक बुक और कुछ कागजात जब्त किए। सूत्रों की मानें तो महेश ने अशोक के नाम से भी बीकानेर में जमीन खरीदी और बाद में यह जमीन वाड्रा की कंपनी को बेची। अशोक के पीछे भी ईडी लगी है। महेश नागर बीकानेर में वाड्रा की कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि 2012 में पलवल जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी जमीन खरीदने में अहम भूमिका में था। तत्कालीन विपक्ष के नेता ओमप्रकाश चौटाला ने वाड्रा व राहुल के लिए हरियाणा में जमीन खरीदने संबंधी दस्तावेज भी प्रेस के सामने जारी किए थे।

वाड्रा की कंपनी ने खरीदी थी 1372 बीघा विवादित जमीन : वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटिलिटी प्रा.लि. राजस्थान के बीकानेर जिला में 1372 बीघा जमीन खरीदने के आरोप में ईडी के निशाने पर है। राजस्थान के कोलायत एवं गजनेर क्षेत्र में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने 1989 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापन के समय 34 गांवों की 1422 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया था। बाद में विस्थापितों के नाम से फर्जी आवंटन कराया। इसके बाद फर्जी तरीके से अपने रिश्तेदारों और जमीन के कारोबारियों को भूमि आवंटित कर दी, जबकि ये लोग विस्थापित थे ही नहीं। आरोपियों ने अधिकारियों से मिलकर जमीन का नामांतरण भी करा लिया। इसके बाद यह जमीन बेच दी गई।

'ईडी की टीम मेरे भाई महेश नागर के नाम से सर्च वारंट लेकर आई थी। छापे के समय मैं ही घर पर मौजूद थे। ईडी टीम ने हम चारों भाइयों और बच्चों के कमरों में गहन छानबीन की। इस दौरान न तो कोई पुरानी, न नई करेंसी मिली। सोना-चांदी या कागजात भी नहीं मिले। ईडी के बिना वजह पहले भी तंग करने के कारण महेश हाईकोर्ट का आदेश लेकर जयपुर में ईडी के समक्ष तीन बार अपना बयान दस्तावेज के संग दर्ज करा चुका है। अब हमारे शहर और पैतृक गांव के घर सहित महेश के चालक अशोक के घर छापेमारी राजनीतिक रूप से हमें तंग करने की नीयत से की गई है।'

-ललित नागर, कांग्रेस विधायक व महेश नागर के बड़े भाई

चुनावी वादा पूरा न होने पर सियासी दल हों जवाबदेह : जस्टिस खेहर

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. खेहर ने कहा कि चुनावी वादे लगातार पूरे नहीं किए जा रहे और राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र महज कागज के टुकड़े साबित हो रहे हैं। हमारी न्याय प्रणाली में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़े। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में एक सेमिनार में जस्टिस खेहर ने कहा कि चुनावी वादे पूरे न करने पर राजनीतिक दल, सदस्यों के बीच आमसहमति के अभाव जैसे बेकार के बहाने बनाते हैं। उन्होने कहा कि नागरिकों की अल्पकालिक याददाश्त की वजह से उनके चुनावी घोषणापत्र महज कागज के टुकड़े साबित हो रहे हैं। 2014 के आम चुनावों में राजनीतिक दलों ने जो घोषणा पत्र जारी किए थे, उनमें से किसी में भी आर्थिक विकास और कमजोर तबकों को आर्थिक-सामाजिक और न्याय दिलाने के संवैधानिक लक्ष्य के बीच संबंध का कोई जिक्र नहीं था।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल घोषणा पत्रों में आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन आर्थिक विकास की उपलब्धियों को कमजोर तबकों से जोड़ने का प्रयास नहीं करते। उन्होंने कहा कि चुनावों में जाति के मुद्दों को अलग ही तरह से उछाला जाता है ताकि प्रतयेक संसदीय क्षेत्र में बहुमत हासिल किया जा सके। जब वे वंचित तबके के लोग बड़ी संख्या में मतदाता बन गए हैं तब से चुनावी परिणामों में उनकी महत्ता अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। लेकिन, अधूरे रह गए चुनावी वादे कभी भी मुद्दा नहीं बनते। उन्होंने बताया कि मुफ्त चीजें बांटने की घोषणाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को दिशा-निर्देश तैयार करने के आदेश दिए जाने के बाद ही आयोग आचार संहिता उल्लंघन के लिए राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि चुनावों में क्रय शक्ति का कोई स्थान नहीं है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि वे कोई निवेश नहीं कर रहे, बल्कि चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों को अपराधीकरण से मुक्त होना ही चाहिए और लोगों को प्रत्याशियों के प्रतिस्पर्धात्मक दोषों के स्थान पर उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर मतदान करना चाहए। उन्होंने कहा कि जिस दिन मतदाता बिना किसी प्रलोभन के मतदान करने जाएगा, वह दिन लोकतंत्र के लिए सबसे गौरवशाली होगा।

स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार करें राजनीतिक दल : प्रणब : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि राजनीतिक दलों को अपने कामकाज के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि 1957 और 1984 के आम चुनावों को छोड़कर किसी दल को 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल नहीं हुए।

1984 में भी राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को सिर्फ 48.6 प्रतिशत वोट ही मिले थे। राष्ट्रपति ने कहा कि मुश्किल से यह है कि जो दल 50 प्रतिशत से कम वोट पाते हैं और सत्ता में भी नहीं होते, उनके पास सब कुछ होता है पर जवाबदेही नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए चुनाव प्रणाली का मजबूत होना बेहद जरूरी है।

संविधान के खिलाफ है तीन तलाक

तीन तलाक, बहुविवाह और हलाला पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी लिखित दलील

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं के हक की तरफदारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुसलमानों में प्रचलित तीन तलाक, बहुविवाह और हलाला से मुस्लिम महिलाओं को संविधान में मिले बराबरी के हक का हनन होता है। बराबरी के हक और महिलाओं की गरिमा से किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता।

सरकार ने यह भी कहा है कि ये प्रथाएं मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं हैं। धार्मिक आजादी का अधिकार संविधान में मिले बराबरी और सम्मान से जीवन जीने के अधिकार के अधीन है। सरकार ने यह बातें तीन तलाक मामले में शीर्ष न्यायालय में दाखिल अपनी लिखित दलील में कही है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 11 मई से तीन तलाक मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को दो सप्ताह में लिखित दलील दाखिल करने की छूट दी थी।

अपनी दलील में सरकार ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं जो भारत की जनसंख्या का आठ फीसद हिस्सा हैं (लगभग 96.68 मिलियन), सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही असुरक्षित हैं। भले ही तीन तलाक या बहुविवाह से सीधे तौर पर कम महिलाएं प्रभावित होती हों, लेकिन यह भी सच है कि इस कानून की जद में आने वाली हर महिला हर समय इसके भय में जीती है, जिसका उसके स्तर, उसकी पसंद, उसके व्यवहार और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार पर असर पड़ता है। सरकार का कहना है कि भले ही इन प्रचलनों से समाज के एक छोटे से वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, लेकिन इससे कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता।

तीन तलाक के पक्ष में साढ़े तीन करोड़ मुस्लिम महिलाएं

जयपुर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला शाखा ने एक बार फिर दोहराया है कि तीन तलाक मामले में किसी का भी हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगा, फिर चाहे वह सरकार ही क्यों न हो। जयपुर में हुए बोर्ड के दो दिवसीय सेमिनार में देशभर से आई करीब 20 हजार मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक के समर्थन में आवाज उठाई।

इस सेमिनार में महिलाओं ने तलाक को कुरआन और शरीयत के अनुसार बताया और कहा कि इसके हक में देशभर से मुस्लिम महिलाओं से साढ़े तीन करोड़ फार्म मिले हैं। सेमिनार समापन के बाद महिला शाखा की प्रमुख ऑर्गेनाइजर डॉ. अस्मा जहरा ने पत्रकारों से कहा कि तीन तलाक पर अंगुली उठाना गलत है। शरीयत में शौहर के साथ बीवी को भी बराबर का हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब शौहर और बीवी का एक साथ रहना मुश्किल हो जाए तो उन्हें अलग होने का हक है। सेमिनार में तय किया गया कि राजस्थान का पहला शरिया कोर्ट जयपुर में स्थापित होगा।

लखनऊ की निकहत खान, दिल्ली की मसहूदा मजिद, मुरादाबाद की यास्मीन और कानपुर की जाहिदा ने दावा किया कि देशभर में अन्य धर्मों के मुकाबले मुस्लिम समाज में तलाक के मामले कम हैं। सेमिनार में मेहर की रकम बढ़ाने पर जोर दिया गया।

तीन तलाक पर रायशुमारी का बन रहा मसौदा : रीता

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण एवं पर्यटन मंत्री डॉ. रीता जोशी ने कहा कि तीन तलाक पर मुस्लिम महिलाओं की रायशुमारी के लिए महिला कल्याण विभाग मसौदा तैयार कर रहा है। लोगों की राय एकत्र कर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के अनुसार हक मिलना चाहिए। उन्होंनें मुस्लिम महिलाओं की इस दलील को उन्होंने जायज ठहराया कि जब पाकिस्तान समेत 22 देशों में तीन तलाक मान्य नहीं है तो भारत में ही क्यों? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कोशिश होगी कि मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिले।

दस्तावेज नहीं मिलने पर पूर्व जज ले सकती हैं कानूनी लाभ : कोर्ट

नई दिल्ली। रिश्वत लेने की आरोपी पूर्व जज रचना तिवारी लखनपाल को गिरफ्तारी से पहले और बाद के मेमो (कार्रवाई से संबंधित कागजात) नहीं सौंपे जाने की याचिका पर तीस हजारी की विशेष सीबीआइ अदालत ने कहा कि पूर्व जज चाहें तो सही समय पर इस संदर्भ में इसका कानूनी लाभ ले सकती हैं।

तीस हजारी अदालत में ही सीनियर सिविल जज के पद पर कार्यरत रहीं रचना तिवारी लखनपाल ने याचिका लगाकर जांच अधिकारी से मामले की कार्रवाई रिपोर्ट तलब करने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि जांच अधिकारी पक्षपातपूर्ण तरीके से उन्हें फंसाने के मकसद से मामले की तफ्तीश कर रहा है। जांच अधिकारी ने गिरफ्तारी से पूर्व और बाद के मेमो अब तक उन्हें नहीं सौंपे हैं।

विशेष सीबीआइ जज संजीव अग्रवाल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तारी से पहले व बाद के मेमो नहीं सौंपे जाने से उनके खिलाफ मुकदमे पर असर का आकलन बाद में किया जाएगा। पूर्व जज चाहें तो इसका कानूनी लाभ ले सकते हैं। अपनी रिपोर्ट में सीबीआई के जांच अधिकारी ने कहा कि महिला जज द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं पर वह जांच करेंगे। सीबीआइ ने पूर्व जज, उनके पति आलोक लखनपाल और वकील विशाल मेहन को मामले में आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी ने बीते वर्ष पूर्व जज को गुलाबी बाग स्थित उनके सरकारी आवास से चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसी ने उनके पति को भी मामले में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि पूर्व जज ने अपने पद पर रहते हुए एक विवादित प्लॉट के मामले में निरीक्षण करने के लिए वकील विशाल मेहन को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया था। विशाल ने उक्त मुकदमे में अदालत से अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपये की मांग की थी। पांच लाख रुपए की पहली किश्त लेते हुए विशाल को सीबीआइ ने पकड़ लिया था। यह रकम लेकर वह सीबीआइ की टीम के साथ पूर्व जज के घर पहुंचा था। सीबीआइ का कहना था कि एक लाख रुपये उसको लेने थे, जबकि बाकी के चार लाख रुपये उसे पूर्व जज को देने थे।

उपभोक्ता अधिकारों में कोर्ट अपनाए व्यावहारिक रुख

नई दिल्ली। उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े विवादों की सुनवाई के दौरान अदालतें व्यावहारिक रुख अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट का कहना है कि ऐसे विवादों से सेवा प्रदाता की तुलना में उपभोक्ता हमेशा कमजोर होता है।

जस्टिस मदन बी. लोकुर व पीसी पंत की बेंच ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. की अपील को खारिज कर दिया। यह याचिका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के अप्रैल 2007 में दिए फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इसमें आयोग ने एक निजी फर्म को 21 लाख 5 हजार रुपये बतौर क्लेम देने का आदेश दिया था। इसमें ब्याज की राशि शामिल है। कोर्ट ने कहा कि संसद ने उपभोक्ता सुरक्षा एक्ट 1986 बनाया है। उपभोक्ता की कमजोर स्थिति का अनुमान लगाकर ही इस एक्ट का सृजन किया गया, लेकिन अक्सर देखा गया है कि सर्विस प्रदाता क्लेम के निपटारे में देरी करता है। मामले के अनुसार हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स लि. ने कोलकाता स्थित कारखाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से दो पॉलिसी ली थीं। 6 अगस्त 1992 में लगातार व तेज बारिश की वजह से फर्म को काफी नुकसान हुआ। फर्म ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के लिए संपर्क साधा तो एक सर्वेयर नुकसान के आकलन के लिए तैनात किया गया। उसने नवम्बर 1993 में रिपोर्ट दी कि फर्म का कुल नुकसान 24 लाख रुपये का है। इंश्योरेंस कंपनी ने रिपोर्ट खारिज करके दूसरा सर्वेयर नियुक्त किया। नवम्बर 1994 में उसने रिपोर्ट दी कि फर्म का नुकसान 26 लाख रुपए का है। फर्म ने एनसीडीआरसी से सम्पर्क साधा। आयोग ने फर्म के हक में फैसला सुनाते हुए 21 लाख 5 हजार 803 रुपये बतौर क्लेम फर्म को जारी करने के निर्देश दिए। इंश्योरेंस कंपनी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। बेंच ने इसी तरह की एक अन्य अपील को भी खारिज कर दिया। यह मामला भी एक निजी फर्म के क्लेम से जुड़ा था।

गंभीर मामलों में दोषी महिलाओं को केवल जुर्माना लगाकर छोड़ना गलत : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंभीर मामलों में दोषी महिलाओं को बजाय जेल भेजने के केवल जुर्माना लगाकर छोड़ देना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले पर की, जिसके तहत अगस्त 2 में लूटपाट और नशाखोरी के मामले में दोषी पाई गई एक महिला को सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था।

जस्टिस ए.के. सीकरी और अशोक भूषण की एक पीठ ने अलग-अलग सहमति जताते हुए कहा कि, कोर्ट ने पहले ही इस मामले में उदारता दिखा दी है। उस महिला के तीन बच्चे हैं जो नाबालिग हैं। निचली अदालत ने उस महिला को दो साल की जेल और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले में जुर्माने की रकम बढ़ाकर 3 हजार रुपए कर दी और महिला को मामले से बरी कर दिया था। जज सीकरी ने कहा कि इस मामले में आरोपी द्वारा यह कह कर कि वह महिला है और उसके बच्चे नाबालिग हैं, अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकते। अपराध की प्रवृत्ति के साथ प्रतिवादी के प्रति भी हमारी वचनबद्धता होती है। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान इन परिस्थितियों का ट्रायल कोर्ट ने ध्यान रखा लेकिन हाईकोर्ट द्वारा दया दिखाते हुए उस महिला को जेल की सजा से बरी किए जाने का कोई कारण नहीं था।

सर्व सेवा संघ के 85वें अधिवेशन का समापन

विश्व का रोल मॉडल बने भारत

मोतिहारी। सर्व सेवा संघ (अखिल भारतीय सर्वोदय मंडल) का 85वां अधिवेशन एमएस कॉलेज के सभागार में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्जवलितकर सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष महादेव विद्रोही, प्रबंधक ट्रस्टी टीएनआर प्रभु, महामंत्री शेख हुसैन, मुख्य अतिथि जयवंत मटकर, पूर्व कुलपति व गांधीवादी विचार रामजी सिंह ने संयुक्त रूप से की। स्वागत भाषण पूर्वी चंपारण जिला सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष बृजकिशोर सिंह ने की। अपने सम्बोधन में मुख्य अतिथि श्री मटकर ने कहा कि आज विश्व के सामने दो सबसे गंभीर समस्या है, जिसमें एक आतंकवाद और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग है। ध्रुवीय प्रदेशों में मौसम जिस प्रकार बदल रहा है, उसे पूरे विश्व में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जंगल कम हो रहे हैं। खेती की जमीन कम होती जा रही है। पानी के लिए संघर्ष हो रहा है, इस समस्या के निदान के लिए लोगों को एकत्रित होकर इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है। गांधी जी ने कहा था कि यह पृथ्वी सभी लोगों के आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है पर स्वर्थियों के आवश्यकता की पूर्ति संभव नहीं है। भारत को अमेरिका बनाने का सपना छोड़ कर पर्यावरण पर काम करना चाहिए, जिससे भारत विश्व के सामने रोल मॉडल बन सके। मटकर ने सर्व सेवा संघ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि 27 प्रदेशों में सर्व सेवा संघ का नेटवर्क है। सभी लोक सेवकों को एकत्रित होकर काम करना समय की मांग है। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहभागिता कर अच्छा संदेश दिया है। सरकार के साथ सहयोग कर हमें अच्छा काम करना चाहिए, जिससे विश्व स्तर पर बेहतर संदेश जाए।

पूरे देश में काम करेगा सर्व सेवा संघ

मोतिहारी। सर्व सेवा संघ द्वारा एमएस कॉलेज कैंपस में आयोजित तीन दिवसीय समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस समारोह तथा अधिवेशन को सफल बनाने में संस्थाओं सहित मोतिहारी की जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने खुले दिल से सहयोग किया। उक्त बातें संघ के राष्ट्रीय सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव विद्रोही ने एमएस कॉलेज में संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम शुरुआत है। पूरे शताब्दी वर्ष में देशभर में अनेक कार्यक्रम होंगे। कहा कि इस कार्य के लिए 5 जून को राष्ट्रीय समिति का गठन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भू-दान के तहत आंदोलन तेज होगा। जमीन के लिए किसानों को संगठित किया जायेगा। इसके साथ गांधी जी के 18 रचनात्मक कार्यों पर भी काम होगा। शराब बंदी को लेकर पूरे देश में काम होगा। वहीं सबसे पहले इसको लेकर उड़ीसा व कर्नाटक में कार्यक्रम होगा। जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कानून से शराब नहीं रुकेगी, इसके लिए जनता को जागरुक करना होगा। मौके पर जयवंत गडकर, सर्वसेवा संघ बंगाल के मंत्री चंदन पाल, रमन कुमार, संघ के प्रवक्ता भवानी शंकर सिंह, पंकज, रमेश, अमरेन्द्र कुमार, विनय कुमार आदि उपस्थित थे।

न्याय की बात करना अपराध

सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव विद्रोही ने कहा कि हमें सबसे पहले उन चुनौतियों का सामना करना होगा जो हमारे सामने हैं। भारतीय सैनिक सरहद पर दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और उन्हें आधा-अधूरा खाना दिया जाता है। कुछ दिन पहले एक सैनिक ने सोशल मीडिया पर कहा था कि सैनिकों को आधा-अधूरा खाना दिया जाता है। एक माह से न्याय की आवाज उठानेवाला वह सैनिक गायब है। परिजनों को अनहोनी की आशंका है, जिसको लेकर लोग तरह-तरह की बातें कह रहे हैं। श्री विद्रोही ने कहा कि ऐसी स्थिति में देश का कोई नौजवान क्या सेना में जाना चाहेगा? विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए क्या कोई माता-पिता अपने बेटे को सेना में भेजेंगे? न्याय की बात करना इस देश में अपराध है। कहा कि देश की एक ही व्यक्ति के पास 70 प्रतिशत टैक्स बकाया है। कहा कि कच्छ के भूकम्प के बाद जापान सरकार ने लोगों के ईलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैश एक अस्पताल बनवाया था। गुजरात सरकार ने इसे अदानी को दे दिया। मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि गुजरात सरकार पूरा गुजरात अदानी को क्यों नहीं दे देती। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अदानी ने अस्पताल को सरकार को वापस कर दिया परन्तु दो वर्ष के बाद मामला ठंडा होते ही अस्पताल को फिर ले लिया। साथ ही कहा कि चंपारण गांधी की कर्मभूमि है पर आज कुछ लोग गांधी को भला-बुरा भी कहने लगे हैं। गांधी जी को मारा नहीं जा सकता है। गांधी को मारने वाला कभी सोचा होगा कि गांधी मर जायेगा व रास्ते का कांटा खत्म हो जायेगा। पर गांधी कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने मरते समय राम का नाम लिया। यह काम वही आदमी कर सकता है, जिसके हृदय में ईश्वर सदैव वास करता है। स्वर्ग व नरक यहीं है। गांधी जी शौचालय से लेकर रसोई घर तक ध्यान देते थे।

बड़ी संख्या में गांधीवादियों की उपस्थिति

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए एमएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हरिनारायण ठाकुर ने कहा कि गांधी एक प्रवृत्ति है। जो दुनिया के जर्रे-जर्रे में विचार बन शामिल है। कहा कि एमएस कॉलेज के लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में गांधीवादी यहां आये। इनकी इतनी बड़ी उपस्थिति कार्यक्रम के सफलता का परिचायक है।

पांच गांधीवादी हुए सम्मानित

संघ के पांच वयोवृद्ध गांधी विचारकों को संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव विद्रोही ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में छत्तीसगढ़ के 93 वर्षीय पंतराम वर्मा, पश्चिम बंगाल के विक्रमचंद्र पाल व विनय चक्रवर्ती व राजस्थान के सत्यदेव व रामदयाल खंडेलवाल शामिल हैं।

ये रहे मौजूद

संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुगन बरंठ, सर्वोदय समाज के संयोजक आदित्य पटनायक, खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीदास, चंदन पाल, विजय भाई, महावीर त्यागी, त्रिभूवन नारायण सिंह आदि उपस्थित थे।

गांधी दर्शन प्रणीत संस्थान शुद्धिकरण मंच

लोकसेवक रामदयाल खंडेलवाल का सर्व सेवा संघ द्वारा राष्ट्रीय लोक सेवक सम्मान बापूधाम मोतीहारी, जिला चम्पारण (बिहार) में गत 23 मार्च, 17 से 25 मार्च, 2017 के बीच सर्व सेवा संघ द्वारा आयोजित अधिवेशन तथा चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के आयोजन के अवसर पर राष्ट्र के सैंकड़ों सक्रिय लोकसेवकों की उपस्थिति में सर्व सेवा संघ के नव निर्वाचित (सव सम्मति द्वारा) अध्यक्ष सर्व श्री महादेव बिद्रोही द्वारा पूरे देश से एक चयनित प्रक्रिया में निम्न 5 लोक सेवकों का गांधीवादी सर्वोदय लोकसेवकों का राष्ट्रीय सम्मान किया गया। सम्मान की कसौटी पर पूज्स महात्मा गांधी दर्शन पर सर्व सेवा संघ द्वारा घोषित एकादश व्रतों की यथासंभव पालना आधार रहा।

1. श्री पंचराम शर्मा, छत्तीसगढ़
2. श्री विमल चन्द्र पाल, प. बंगाल
3. श्री सत्यदेव जी, झुंझुनूं (राज.)
4. श्री विनय कुमार चक्रवर्ती प. बंगाल
5. श्री रामदयाल खंडेलवाल, बीकानेर-जयपुर (राज.)

एकादश वर्त : अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह+शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्रमय वर्णन में, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी, अस्पर्श भावना-विनम्र व्रत निष्ठा में से एकादश वर्त:

कश्मीर में जेहादियों द्वारा सैनिकों को थप्पड़-लात मार कर अपमानित करने पर एक कवि की व्यथा

दिल्ली में बैठे शेरों को सत्ता का लकवा मार गया,
इस राजनीति के चक्कर में सैनिक का साहस हार गया।
मैं हूं जवान उस भारत को, जो ''जय जवान'' का पोषक है,
जो स्वाभिमान का वाहक है, जो दृढ़ता का उद्घोषक है।
मैं हूं जवान उस भारत का, जो शौर्य शक्ति की भाषा है,
जो संप्रभुता का रक्षक है, जो संबल की परिभाषा है।
उस भारत की ही धरती पर ये फिर कैसी लाचारी है,
हम सैनिक कैसे दीन हुए, अब कहां गई खुद्दारी है?
''कश्मीर हमारा'' कहते हो, पर याचक जैसे दिखते हो,
तुम राष्ट्रवाद के थैले में, गठबंधन करके बिकते हो।
वर्दी सौंपी, हथियार दिए, पर अधिकारों से रीते हैं,
हम सैनिक घुट-घुट रहते हैं, कायर का जीवन जीते है।
छप्पन इंच वालों ने कुछ ऐसे हमको सम्मान दिए,
कागज की कश्ती सौंपी है, अंगारों के तूफान दिए।
हर हर मोदी, घर घर मोदी, यह नारा सिर के पार गया,
इक दो कौड़ी का जेहादी, सैनिक को थप्पड़ मार गया।
अब वक्ष ठोंकना बंद करो, घाटी में खड़े सवालों पर,
ये थप्पड़ नहीं तमाचा है, भारत माता के गालों पर।
सच तो ये है दिल्ली वालों, साहस संयम से हार गया,
इक पत्थरबाज तुम्हारे सब, कपड़ों को आज उतार गया।
इस नौबत को लाने वालों, थोड़ा सा शर्म किए होते,
तुम काश्मीर में सैनिक बन, केवल इक दिवस जिये होते।
इस राजनीति ने घाटी को, सरदर्द बनाकर छोड़ा है,
भारत के वीर जवानों को नामर्द बनाकर छोड़ा है।
अब और नहीं लाचार करो, हम जीते जी मर जायेंगे,
दर्पण में देख न पाएंगे, निज वर्दी पर शर्माएंगे।
या तो कश्मीर उन्हें दे दो, या आर-पार का काम करो,
सेना को दो जिम्मेदारी, तुम दिल्ली में आराम करो।
थप्पड़ खाएं गद्दारों के, हम इतने भी मजबूर नहीं,
हम भारत माँ के सैनिक हैं, कोई बंधुआ मजदूर नहीं।
मत छुट्टी दो, मत भत्ता दो, बस काम यही अब करने दो,
वेतन आधा कर दो, लेकिन कुत्तों में गोली भरने दो।
भारत का आंचल स्वच्छ रहे, हम दागी भी हो सकते हैं,
दिल्ली गर यूं ही मौन रही, हम बागी भी हो सकते हैं।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल
न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री डॉ.पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री रामदयाल खंडेलवाल	संस्थानिक प्रतिनिधि
7.	श्री विष्णुकांत शर्मा	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. **पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।**